निर्णय:- गोरधनराम वगैराह बनाम रिड़मलराम वगैराह(धारा-111, 128)

न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू.अभिलेख अधिकारी, धोरीमन्ना (जिला बाड़मेर) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्री धीरेन्द्रसिंह (आर.ए.एस.)

राजस्व आवेदन संख्या : 72/2024

प्रार्थी

1. गोरधनराम पुत्र जोधाराम
2. केसाराम पुत्र जोधाराम जाति प्रजापत निवासी खोथावास अरणियाली तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर।

बनाम

विप्रार्थीगण

1. रिड़मलराम पुत्र रामाराम
2. अणदु पत्नी रिड़मल
3. जेठाराम पुत्र कुम्भाराम
4. बांकाराम पुत्र कुम्भाराम
5. मांगाराम पुत्र कुम्भाराम
6. पेम्पो पत्नी भोमाराम फौत के कायम मुकाम

6/1. बुधराम पुत्र भोमाराम
6/2. भुराराम पुत्र भोमाराम
6/3. देवाराम पुत्र भोमाराम
6/4. भारमलराम पुत्र भोमाराम
6/5. चेनाराम पुत्र भोमाराम फौत के कायम मुकाम
6/5.1 मोहनलाल पुत्र चेनाराम
6/5.2 खेताराम पुत्र चेनाराम
6/5.3 सोहनलाल पुत्र चेनाराम
6/5.4 पनीदेवी पत्नी चेनाराम

7. केसरा पुत्र बाबूराम
8. जगदीश पुत्र बाबूराम
9. दिनेश पुत्र बाबूराम
10. नेनाराम पुत्र बाबूराम
11. पेमाराम पुत्र बाबूराम
12. मिरगा पत्नी बाबूराम
13. खेताराम पुत्र चेनाराम
14. मोहनलाल पुत्र चेनाराम
15. सोहनलाल पुत्र चेनाराम
16. पनी देवी पत्नी चेनाराम
17. देवाराम पुत्र पीराराम
18. बुधाराम पुत्र पीराराम
19. भूराराम पुत्र पीराराम
20. भारमलराम पुत्र पीराराम जातियान जाट निवासी खोथावास पटवार मण्डल अरणियाली तहसील धोरीमन्ना
21. तगा पुत्र धरमा जाति सुथार निवासी खोथावास पटवार मण्डल अरणियाली [illegible] धोरीमन्ना जिला बाड़मेर
22. किश[illegible]ल पुत्र हरचन्दराम
23. [illegible] पुत्र हरचन्दराम
24. [illegible]ाराम पुत्र हरचन्दराम
25. [illegible] पत्नी भगवानाराम

Signature Not Verified

Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.08.18 19:20:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना जिला-बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना,बाड़मेर

Scanned with OKEN Scanner

26. गिरगा पत्नी निम्बाराम
27. हेमी देवी पत्नी किशनलाल जातियान जाट निवासी खोथावास पटवार मण्डल अरणियाली तहसील धोरीमन्ना
28. कानाराम पुत्र कुम्भाराम
29. भैराराम पुत्र कुम्भाराम
30. जुंझाराम पुत्र जेठाराम
31. सवाईराम पुत्र जेठाराम
32. शांतिदेवी पत्नी जेठाराम
33. पुराराम पुत्र मेघाराम जातियान दर्ज निवासी पुरावा पटवार मण्डल अरणियाली तहसील धोरीमन्ना
34. शाखा प्रबंधक एस.बी.बी.जे वर्तमान एस.बी.आई. शाखा गुड़ामालानी
35. षाखा प्रबंधक आईसीआईसीआई बैक लि0 शाखा रामजी का गोल
36. शाखा प्रबंधक एस.बी.आई शाखा धोरीमन्ना जिला बाड़मेर
37. श्रीमान् तहसीलदार धोरीमन्ना

राजस्व आवेदन अंतर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956

तारीख रजू : 31.05.2024

अधिवक्ता :– श्री रामनिवास विश्नोई, अधिवक्ता प्रार्थीगण

–: : निर्णय : :–

दिनांक : 24.07.2024

प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री रामनिवास विश्नोई द्वारा एक राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के खातेदारी के खेत खाता संख्या 14 खसरा नम्बर 22 रकबा 5.0100 हैक्टेयर किस्म बा.दोयम मौजा पूरावा पटवार मण्डल अरणियाली तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर में अवस्थित है, जिस पर प्रार्थी का कब्जा काश्त लगातार निर्बाध रूप से चला आ रहा है। नकल जमाबन्दी व नक्शा साथ पेश है। प्रार्थीगण की उपरोक्त भूमि के सेढ़ा–सेढ़ ही विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के बीच में किसी प्रकार की कोई पक्की माठें या सीमा चिह्न नहीं होने के कारण प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के मध्य काश्त एवं प्राकृतिक पैदावार सम्बन्धी [illegible] तनाजा एवं विवाद बना रहता है। काश्त के समय विप्रार्थीगण प्रार्थीगण [illegible] खातेदारी की भूमि में हस्तक्षेप कर प्रार्थीगण की भूमि पर [illegible] तथा काश्त के समय लड़ाई

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.08.18 19:20:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना,बाड़मेर

Scanned with OKEN Scanner

फंसाद होने की आशंका रहती है तथा प्रार्थीगण अपनी भूमि का सही समय पर उपयोग नही कर पा रहे है, इसलिए प्रार्थीगण हमेशा के लिए भूमि के सेढ़ों के विवाद से बचने के लिए अपनी उपरोक्त भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहता है। प्रार्थीगण ने अपनी उपरोक्त भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 18.10.2022 को करवाया गया था परन्तु मौके पर विवाद होने के कारण सीमाज्ञान को विप्रार्थीगण नही मान रहें है, जिस पर तहसीलदार धोरीमन्ना ने श्रीमान् के समक्ष नेखमबन्दी का आवेदन प्रस्तुत करने का सुझाव दिया, जिस पर नेखमबन्दी का यह आवेदन श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थी नेखमबन्दी सम्बन्धी मौके पर नेखम सामग्री उपलब्ध एवं नेखमबन्दी सम्बन्धी फीस अदा करने को तैयार है। विवादित खेत मौजा पूरावा पटवार मण्डल अरणियाली तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर में स्थित होने के कारण यह नेखमबन्दी का आवेदन श्रीमान् के न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का है। राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का होने के कारण इस पर मुकरर न्याय शुल्क मुद्रांक 2/– के साथ पेश है। अतः श्रीमान् जी के समक्ष नेखमबन्दी का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का खातेदारी के खेत ग्राम पूरावा पटवार मण्डल अरणियाली तहसील धोरीमन्ना के खसरा नम्बर 22 रकबा 5.0100 हैक्टेयर किस्म बा.दोयम के चारों तरफ पक्की नेखबन्दी/पत्थरगढ़ी का आवेदन स्वीकार कर आवश्यकतानुसार मय पुलिस ईमदाद से करवाने का आदेश फरमाने की कृपा करावे।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया एवं विप्रार्थीगण 01 से 37 को जरिये रजिस्ट्रेड डाक से नोटिस भिजवाए गए, भिजवाऐ गये नोटिसों की डाक रसीदें मय डिलीवरी रिपोर्ट प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा पेश की, विप्रार्थीगण को नोटिस भेजे गए एक माह से ज्यादा समय होने के कारण दिनांक 10.07.2024 को विप्रार्थीगण के हाजा न्यायालय में अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्रवाई के आदेश दिए गए।

हमने अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस को विस्तारपूर्वक सुना तथा प्रार्थना पत्र तथा पत्रावली के साथ संलग्न समस्त दस्तावेजात का भली–भांति अध्ययन एवं अवलोकन किया। अध्ययन से स्पष्ट है कि मौजा पूरावा पटवार मण्डल अरणियाली तहसील धोरीमन्ना के खसरा नम्बर 22 रकबा 5.0100 हैक्टेयर किस्म बा.दोयम प्रार्थीगण के नाम दर्ज राजस्व रेकर्ड है। पत्रावली के अध्ययन से स्पष्ट है कि दिनांक 18.10.2024 को पटवारी हल्का द्वारा खसरा संख्या 22/[illegible] के सीमाज्ञान हेतु प्रयास किया गया, लेकिन पड़ौसी खातेदारान द्वारा सीमाज्ञान की कार्रवाई के दौरान [illegible] ज्ञान [illegible] से मना कर दिया गया, प्रार्थीगण द्वारा शपथ पत्र के माध्यम से [illegible] किया गया है कि प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के खेत आसपास स्थित है त[illegible] खेतों के बीच किसी प्रकार के

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.08.18 19:20:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना
जिला-बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना,बाड़मेर

Scanned with OKEN Scanner

सीमा चिह्न/पक्की माठें नहीं होने के कारण सीमा सम्बन्धी विवाद होते रहते है। उपर्युक्त विवेचन के आलोक से हमारा यह विनम्र अभिमत है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 22 रकबा 5.0100 हैक्टेयर किस्म बा.दोयम, की हद तक हस्तगत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना हम उचित एवं विधिसंगत समझते हैं।

– : : आदेश : : –

अतः उपर्युक्त निष्कर्ष के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 भली–भांती साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार धोरीमन्ना को निर्देश दिये जाते हैं कि वह प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी राजस्व ग्राम पूरावा पटवार मण्डल अरणियाली तहसील धोरीमन्ना के खाता संख्या 14 के खसरा नम्बर 22 रकबा 5.0100 हैक्टेयर किस्म बा.दोयम का राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 111 में वर्णित विहीत प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए सीमाज्ञान कर, सीमा विवाद का निस्तारण करें, प्रार्थीगण के हर्जे–खर्चे से उसके खसरा नम्बर 22 रकबा 5.0100 हैक्टेयर किस्म बा.दोयम के पड़ौसी खातेदारों की आराजी के मध्य सीमा–विभाजक रोपित करावें। उभयपक्षकारान को पाबंद किया जाता है कि वक्त कार्यवाही मौके पर उपस्थित रहें। तहसीलदार धोरीमन्ना को पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से कम होते हुए दाखिल दफ्तर हो।

(धीरेन्द्रसिंह RAS)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू–अभिलेख अधिकारी,
धोरीमन्ना, बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना जिला-बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना, बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक – 24.07.2024 को सरे ईजलास सुनाया गया।

(धीरेन्द्रसिंह RAS)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू–अभिलेख अधिकारी,
धोरीमन्ना, बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना, बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.08.18 19:20:04 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner